



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

फैक्स: 011-26673608 ई-मेल: secyderc@nic.in

सार्वजनिक सूचना

बीएसईएस राजधानी पावर लि.(बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लि.(बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.(टीपीडीडीएल) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्(एनडीएमसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जमा किए गए कुल राजस्व आवश्यकता(एआरआर) व प्रशुल्क, वित्त वर्ष 2013-14 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्त वर्ष 2012-13 के कुल खर्च के टू अप के लिए सार्वजनिक सुनवाई।

और

- I. डीईआरसी(डिमांड साइड मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क) अधिनियम, 2012 प्रारूप
- II. छत पर सोलर पीवी परियोजनाओं के संबंध में कुल मीटरिंग व कनेक्टिविटी पर प्रस्तावित अधिनियम।
- III. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग(बिजली विनियामक लेखांकन) अधिनियम, 2014 प्रारूप
 1. दिल्ली के लिए वितरण लाईसेंस अर्थात् बीएसईएस राजधानी पावर लि.(बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लि.(बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.(टीपीडीडीएल) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्(एनडीएमसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जमा किए गए कुल राजस्व आवश्यकता(एआरआर) व प्रशुल्क, वित्त वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्त वर्ष 2012-13 के कुल खर्च के ब्यौरे के टू अप के लिए याचिका दायर की गई है।
 2. हितधारकों द्वारा आपत्तियां/टिप्पणियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27.05.2014 थी जिसे बढ़ाकर 06.06.2014 कर दिया गया था।
 3. आयोग ने डीईआरसी(डिमांड साइड मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क) अधिनियम, 2012 प्रारूप, छत पर सोलर पीवी परियोजनाओं के संबंध में कुल मीटरिंग व कनेक्टिविटी पर प्रस्तावित अधिनियम और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग(बिजली विनियामक लेखांकन) अधिनियम, 2014 प्रारूप को वेबसाइट www.derc.gov.in पर अपलोड कर दिया है जिस पर हितधारकों/उपभोक्ताओं से आपत्तियां व टिप्पणियां पहले ही प्राप्त हो गई हैं।
 4. आयोग ने उपरोक्त वर्णित प्रशुल्क याचिकाओं और अधिनियम प्रारूपों पर जो पहले से आपत्तियां/टिप्पणियां दे चुके हितधारकों/उपभोक्ताओं श्रेणियों सहित सभी के लिए सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन **सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम-2, गेट न. 5, अगस्त कांति मार्ग, नई दिल्ली 110049** पर नीचे वर्णित सारणी के अनुसार किया है :-

तिथि	समय
20.06.2014(शुक्रवार)	प्रातः 10:30 से अपरान्ह 1:00 बजे तक (घरेलू/आरडबल्यूए/एनजीओ) 2:30 बजे अपरान्ह से सायं 5:00 बजे तक (घरेलू/आरडबल्यूए)
21.06.2014(शनिवार)	प्रातः 10:30 बजे से 1:00 बजे अपरान्ह तक (औद्योगिक/वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाएं/अन्य एजेंसियां)

- 5 सभी हितधारकों/उपभोक्ताओं को पहले आओ पहले पाओ आधार पर सुना जाएगा। कृपया अपने साथ फोटो पहचान पत्र (I Card) लाएं।

हस्ता./-

सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग